प्रस्तावना

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) के ज्ञाप क्रमांक 37/3/अ.अ./वा.–1/2019 दिनांक 04.10.2019 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लोक निर्माण विभाग रायपुर के द्वारा पाण्डुका–जतमई–घटारानी–गायडबरी–मड़ेली–मुड़ागांव मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ग्राम पीपरछेड़ी, तहसील छुरा में स्थित कुल रकबा 0.193 हेक्टेयर निजि भूमि अर्जन किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा–4 सहपठित नियम–7 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किये जाने के आधार पर उक्त वर्णित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई 21.10.2019 को निम्नानुसार किया गया।

सर्वप्रथम विभाग परियोजना प्रबंधक द्वारा समाघात शिविर में गठित दल का परिचय कराया गया। तत्पश्चात् पैकेज–3, पाण्डुका–जतमई–घटारानी–गायडबरी–मड़ेली–मुड़ागांव मार्ग परियोजना का विस्तृत विवरण पढ़कर सुनाया गया एवं बताया गया कि इस परियोजना की कुल लम्बाई 37.695 कि.मी. है। सम्पूर्ण लम्बाई गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। इस मार्ग के निर्माण होने से (मार्ग किनारे के एवं अन्य) लगभग 26 ग्रामों के लगभग 2 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगे एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आवगमन सुगम हो जावेगा। उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 10.09.2021 है। ग्राम पीपरछेड़ी में 580 मी. लम्बाई कुल 6 कृषक प्रभावित होंगे, जिसमें कुल 0.193 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। विवरण निमनुसार है –

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जन किये जाने वाला अर्जित रकबा (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	भगवानसिंग, गंगाबाई पिता समारू	28	0.97	0.009
2	अजीत पिता गुल्लु गांड़ा	33	0.69	0.052
3	फगनु ,दयाराम ,रामसाय, तिहारू ,मंहगू, जरहु पिता मंगलसिंग, धरमसिंह पिता पनकू कमार	444	1.7	0.018
		446	0.98	0.018
	योग	**2 नग**	**2.68**	**0.036**
4	किसन्तीन बे. चमरू, चमारसिंग, सामरथ, नीरज पिता चमरू कमार	449	0.48	0.019
5	ईतवारी पिता सुनहर, चैनीबाई बेवा सुनहर कमार	457	0.37	0.035
6	नाबा. दुर्गा पिता फुलसिंग, जगोती बेवा फुलसिंग कमार	458/1	0.27	0.042
	महायोग	**7 नग**	**5.46**	**0.193**

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के लिये सर्वप्रथम सामाघात का आंकलन/निर्धारण किया जाना है। चूंकि इस परियोजना के लिये भूमि की जो आवश्यकता है, वह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है। इस परियोजना के निर्माण में सभी सामाजिक लागत/पहलूओं एवं फायदों का निर्धारण किया गया है।

कार्यकारी सार –

(क) छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग लोन–3 के अंतर्गत पैकेज–3, पाण्डुका–जतमई–घटारानी–गायडबरी–मड़ेली–मुड़ागांव मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस मार्ग के निर्माण होने से (मार्ग किनारे के एवं अन्य) लगभग 26 गामों के लगभग 2 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगे एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आवगमन सुगम हो जावेगा। उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 10.09.2021 है। इस मार्ग के पूर्ण होने से आस–पास के समस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये परिवहन एवं अवागमन सुलभ हो जावेगा।

(ख) स्थान

ग्राम–पीपरछेड़ी, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद।

(ग) भूमि अर्जन का आधार और विशेषता

स. क.	ग्राम	रकबा हेक्टेयर में	विशेषता
1	पीपरछेड़ी	0.193	पैकेज–3, पाण्डुका–जतमई–घटारानी–गायडबरी–मड़ेली–मुड़ागांव मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु
कुल		0.193	

(1) इस परियोजना में ए.डी.बी. एवं राजस्व विभाग के सर्वे शर्तो के अनुसार न्यूनतम भूमि का अर्जन प्रस्तावित।

(2) इस परियोजना में विस्थापन की संख्या शून्य है।

(3) इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नही हो रही है।

(4) इस परियोजना के लिये सभी विकल्पों का ध्यान पश्चात् सभी दृश्टिकोण से उपयुक्त विकल्प का चयन किया गया है।

(घ) अनुकल्पों पर विचार

चूंकि ग्राम पीपरछेड़ी में भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य शासन द्वारा सैध्दांतिक सहमति प्राप्त हुई है। ग्राम पीपरछेड़ी में सड़क के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरे विकल्प के तौर पे अगल–बगल में केवल निजी भूमि ही उपलब्ध है। शासकीय एवं वनभूमि भी आवश्यक है। साथ ही यह भी दिया गया है कि यह न्यनूतम अधिग्रहित क्षेत्र है।

(ड.) सामाजिक समाघात

ग्राम पीपरछेड़ी में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, सामाजिक समाघात कर आंकलन किया गया है।

(च) कमी करने का उपाय

सीमित विकल्पों के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाए और परियोजना क्षेत्र के रेखांकन इस नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अतः अपव्यय रोकने हेतु भूमि की आवश्यकता को यथासंभव मार्ग निर्माण के मापदण्ड के अनुरूप रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की बस्तियों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

इस मार्ग के निर्माण होने से (मार्ग किनारे के एवं अन्य) लगभग 26 गामों के लगभग 2 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगे एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आवगमन सुगम हो जावेगा। उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 10.09.2021 है। इस मार्ग के पूर्ण होने से आस–पास के समस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये परिवहन एवं अवागमन सुलभ हो जावेगा।

(क) परियोजना की पृष्टभूमि जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्टभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित।

इस मार्ग के निर्माण होने से (मार्ग किनारे के एवं अन्य) लगभग 26 गामों के लगभग 2 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगे एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आवगमन सुगम हो जावेगा। उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 10.09.2021 है। इस मार्ग के पूर्ण होने से आस–पास के समस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये परिवहन एवं अवागमन सुलभ हो जावेगा।

(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किय तरह का लोक परियोजना के लिये उपयुक्त है, सूचीबध्द मानदण्डों सहित।

परियोजना का मूल आधार सड़कों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है। फलस्वस्प इसमें शासन की अधिकारिता निहित रहेगी, लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है। इस परियोजना से किसी भी तरह का विस्थापन नही किया जावेगा। परियोजनाए जहां स्थापित होती है वहां आस–पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस परियोजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेगे जो, विकासशील होगा। यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू–स्वामियों को उचित दर पर भूमि का मुआवजा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त दूसरे आय–अर्जन व्यवसाय से जुड़ कर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। परियोजना से भू–अर्जन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा। जिससे की उनकी आार्थित स्थिति पर विपरित प्रभाव नही पड़ेगा।

इस प्रकार यह परियोजना लोक परियोजना की श्रेणी में है जो उपयुक्त है।

जागरूकता का विचार – सामाजिक–आर्थिक अंकेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों से परियोजना संबंधित प्रश्न जैसे जागरूकता, परियोजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत तथा परियोजना के संबंध में उनके विचार के बारे में पूंछा गया। ग्राम पीपरछेड़ी में प्रश्नों के आधार पर विभिन्न जानकारियां एवं विचार प्राप्त किये गये जो कि निम्ननिखित है –

क्र. संख्या	विवरण	प्रतिशत (%)
1	प्रभावित सड़क का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण परियोजना के संबंध में जागरूकता	
1.1	हां	91
1.2	नही	9
2	स्त्रोत की जानकारी	
2.1	समाचार पत्र	16
2.2	टी.व्ही.	0
2.3	अन्य (सर्वेक्षण)	84
3	परियोजना के संबंध में विचार	
3.1	अच्छा	87
3.2	खराब	3
3.3	कह नही सकते	10

(ग) अनुकल्पों की परीक्षा

मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण परियोजना मापदण्डों के तहत कराया जावेगा।

(घ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं

मार्ग का निर्माण भूमि अर्जन कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत किया जावेगा।

(ड़) मूल डिजाईन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार एवं प्रकार

विभाग/संस्थान द्वारा प्रस्तुत संलग्न है।

(च) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

मार्ग निर्माण में आधारभूत संरचनाओं को ध्यान में रखा जाना उचित होगा।

(छ) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई एवं स्थाई)

चूंकि भूमि अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है। इसमे मजदूरों या कुशल–अर्ध्दकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता नही है।

(ज) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट

परियोजना को छ.ग. शासन, लो.नि.वि. एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होना बताया गया है। वर्तमान में मार्ग निर्माण बाबत भू–अर्जन संदर्भित सामाजिक समाघात निर्धारण हो रहा है।

(झ) लागू किये गए विधान एवं नीतियां

भू–अर्जन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के अधीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकारी (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016.

दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

(क) गैरशासकीय समाजिक वैज्ञानिक	–	श्री रामनारायण निर्मलकर, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) निजी आर्यभट्ट कला वाणिज्य महाविद्यालय, कोपरा, तहसील राजिम
(ख) स्थानिय निकायों के प्रतिनिधि	–	1. श्री अवधराम साहू, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, छुरा 2. श्रीमती अंजनी ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी
(ग) पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विशेषज्ञ	–	श्री जार्ज जेकब, मैनेजर सेंटजान्स, इग्लिश मिडियम स्कूल, छुरा (मास्टर ऑफ सोशल वर्क)
(ग) एक तकनीकी विशेषज्ञ	–	श्री एम.के. साहू, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग राजिम, जिला गरियाबंद
(घ) प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार	–	तहसीलदार, छुरा (संयोजक)

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन

- सामाजिक मानचित्र
- संसाधन मानचित्र
- प्रारंभिक आंकड़े
- द्वितीयक आंकडे

सामाजिक समाघात निर्धारण की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन तथा भू–अर्जन हेतु सहमति की संख्या

प्राप्त आवेदन का विवरण	–	संलग्न है।
सहमति संख्या	–	6
असहमति	–	निरंक

भू–अर्जन की प्रक्रिया सामाजिक समाघात निर्धारण के पूर्व प्रावधानों के तहत किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

साथ ही प्राप्त कृषकों से पृथक–पृथक सहमति प्राप्त की गई। यह कि उपरोक्त कार्यवाही दस्तावेजों प्रमाणों के रूप में मौजूद है। अतः उक्त दस्तावेज को नजर अंदाज नही किया जा सकता। सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुक्रम में पर्याप्त सहमति मान्य की जाती है।

प्राप्त सुझाव आवेदन का निराकरण – संलग्न है।

1. **प्रारंभिक आंकड़े** – प्रारंभिक आंकड़े को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एवं अपनी ही उपयोगिता है। इससे हमें प्रथम दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई साक्षात देखने को मिलता है अथवा लोगों को जानकारी द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्रारंभिक आंकड़े कहा जाता है। इस तरीके का उपयोग सर्वेक्षितकर्ता खुद अपने अपने उस खास जगह पर जाकर करता है, जिसका उपयोग प्रयोजन हेतु करना है। ये आंकड़े लोगों से बातचीत कर तथा देखकर जुटाये जाते है।

2. **द्वितीयक आंकड़े** – दूसरों के द्वारा सर्वेक्षित किये गये आंकड़ों को हम द्विमीयक आंकड़े कहते है। जिसका प्रयोग सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु किया जाता है। यह किताब के रूप में, पत्रिका के रूप में या शासन के रिकार्ड सैंसस रिपोर्ट के रिकार्ड के रूम में प्राप्त किया जा सकता है।

3. **सामाजिक मानचित्र** – सामाजिक मानचित्र, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये एक उचित उपयुक्त साधन हो सकता है, जिससे हम एक मानचित्र के सहारे संपूर्ण गांव के घरों, सुविधाओं जैसे–मंदिर, स्टोर, स्कूल, अस्पताल, रोड़ सड़क, पेयजल सुविधाए सिंचाई एवं मनोरंजन के स्थानों का अवलोकन कर सकते है। यह मानचित्र घरों की स्थिति तथा उसके सही जगह और गांव में अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है, जो कि हमें किसी प्रयोजन हेतु प्लान को लागू करने, उसकी देखरेख करने तथा समाघात करने में सहायता प्रदान करती है।

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई के समय किया गया है, चर्चा पूर्ण की गई है।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों का प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें)

सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों के लिये द्वितीयक आंकड़े का सहारा लेकर इसे राजस्व विभाग से लिया गया है।

(ड़) प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)

आवश्यक नही है।

भूमि अवधारण

(क) भूमि तालिका की सूचना ओर प्राथमिक स्त्रोत – नक्शों की सहायता से वर्णन करें।

संलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिये भूमि क्षेत्र तक)

परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र कुल 0.193 हेक्टेयर है।

(ग) परियोजना के लिये कुल अपेक्षित भूमि

परियोजना के लिये कुल अपेक्षित भूमि 0.193 हेक्टेयर है।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास है, का उपयोग

इस परिधि की भूमि परियोजना में नही है।

(ड़) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रमित पट्टे पर या अर्जित है ओर परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लांट का आशयित उपयोग

नही है।

(च) परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान

परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण 0.193 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम पीपरछेड़ी, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में अवस्थित है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम

ग्राम पीपरछेड़ी में परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य है और जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है, जो कि गांव में स्थित बांध के द्वारा सिंचित है। फसल क्रम

वर्षा ऋतु में – धान इत्यादि
गर्मी के समय में – धान इत्यादि
ठंड के समय में –

(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवसीय सदनों की संख्या

सूची संलग्न है। आवासीय सदन निरंक है।

(झ) भूमि कीमत और स्वामित्व में परिवर्तन, पिछले 3 वर्षो से भूमि का अंतरण और उपयोग

ग्राम पीपरछेड़ी के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित जमीन की कीमत भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत शासन के द्वारा निर्धारित की जावेगी। संबंधित को प्रदाय किया जावेगा। राजस्व अभिलेख संलग्न है।

प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों (जहां अपेक्षित होने का कारण और प्रगणन)

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिये प्रस्तावित है)

1. किरायेदार है अथवा अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि के अधिभागी है।

भूमि स्वामी है।

2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।

नहीं हुई है।

3. सामान्य भूमि स्त्रोतों पर आश्रित जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी।

कुल 6 खातेदार/भूस्वामी प्रभावित है। इन सभी का भूमि अर्जन से जीवकोपार्जन प्रभावित नही हो रहा है।

4. समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के भूमि सौंपी गई है ओर इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है।

निरंक।

5. भूमि अर्जन के पूर्व शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षो या उससे अधिक समय से रह रहे है।

आबादी स्थल नही है।

6. अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षो से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है।

कृषि कार्य किया जाता है।

(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही है)

नही है।

(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका।

कृषि के अतिरिक्त और कोई उत्पादन नही रहने के कारण आवश्यक नही है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का सांख्यिकी ब्यौरा

कुल जनसंख्या – ग्राम पीपरछेड़ी–925

(ख) आय एवं गरीबी स्तर

ग्राम पीपरछेड़ी में कुल प्रभावित परिवारों की संख्या–6 है। जिसमें 6 परिवार का सालाना आय लगभग 24–30 हजार है। अतः यहां की गरीबी स्तर न्यूनतम है।

व्यवसाय के प्रकार – ग्राम पीपरछेड़ी के व्यवसाय के विभीन्न प्रकारों तथा उससे जुड़े हुये व्यक्तियों के सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय–अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सकें जो कि एक अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय–अर्जन गतिविधि सिध्द हो सकें। सर्वे के अनुसार अधिकतम व्यक्ति बिजनेस कियाकलाप को अपना मुख्य व्यवसाय मानते है। कुल परियोजना प्रभावित परिवारों में 100 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुये है।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के व्यवसाय के प्रकार

क्र. संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	कृषि एवं मजदूरी	100
2	बिजनेंस	–
3	शासकीय नौकरी	–
4	अन्य	–

(ग) दुर्बल समूह

दुर्बल समूह नही है

(घ) भूमि उपयोग और जीविका

भूमि उपयोग कृषि कार्य के लिये होता है। जीविका कृषि एवं व्यवसाय पर आधारित है।

(ड.) स्थानिय आर्थिक कियाकलाप

कृषि एवं व्यवसाय है।

आर्थिक स्थिति – परियोजना प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी व्यवसाय की जानकारी, उनके परिवार के आय की जानकारी, रोजगार की जानकारी, कामगारो की संख्या और निर्भर व्यक्तियों के बारे मे जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय की जानकारी, परिवार के मुखिया के काम की जानकारी प्रदान करती है कि वह क्या काम करता है। परिवार की आय, कामगार व्यक्तियो के आय पर निर्भर करती है और कामगार व्यक्ति वें होते है जो काम करते है और आय प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है जबकि निर्भर व्यक्तियों में पत्नी, बच्चें, वृध्द व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति जो काम नही करते और आय प्राप्त नही करते है।

नीचे दिये टेबल में अंकेक्षण के अनुसार ग्राम पीपरछेड़ी में प्रभावित परिवार 100 प्रतिशत परिवारों का मासिक आय रूपये 5000 से कम है। कामगार व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक परिवार मे औसतन 2 है।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की मासिक आय

क्र. संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	रूपये 5000 से नीचे	100
2	5001 से 10000	–
3	10001 से 20000	–
4	20001 से 40000	–
5	40000 से उपर	–

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

कृषि एवं व्यवसाय है, भूमि अधिग्रहण उपरान्त प्रावधानो के तहत संस्थान अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

(छ) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

ग्राम सुरक्षा समिति एवं एक सांस्कृतिक संगठन

(ज) प्रशासनिक संगठन

1. वन सुरक्षा समिति
2. शिक्षा समिति
3. स्वास्थ्य समिति
4. साक्षरता समिति

(झ) **राजनैतिक संगठन**

पंजीकृत राजनीतिक संगठन नही है।

(ञ) **समुदाय आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन**

हाँ है। (आदिवासी ध्रुव, गोड़ समाज पीपरछेड़ी परिक्षेत्र)

(ट) **क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं**

नही है।

(ठ) **जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता**

हाँ है।

सामाजिक समाघात

(क) **पहचान मे आए समाघातों के लिए कार्य ढॉचा और दृष्टिकोंण।**

परियोजना के निर्माण से विकास एवं रोजगार के अवसर बढने से लोगो के दैनिक जानकारी मानदेय या रोजी में वृध्दि होगी जिससे व्यक्ति के आय एवं बचत में भी वृध्दि होगी। इसका सीधा प्रभाव परिवार के आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर पर पड़ेगा।

(ख) **परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे– स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक परिवार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गो पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो– आकलित समाघात।**

सामाजिक समाघात हेतु गठित दल के द्वारा विषयवस्तु का आंकलन किया गया है।

(ग) **समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची मे सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।**

परियोजना में ली जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, अधिग्रहण करने पर यथाचित मुआवजा दिये जाने के कारण जीविकोपार्जन पर विपरित प्रभाव नही पड़ेगा।

सामंतो और समुदायों का विश्लेषण और अर्जन पर विवरण

(क) **लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि का न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना मे वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकुल सामाजिक लागतों का व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष।**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से विभाग को दिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से लोकहित बाबत् है। मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक भूमि ही लिया जाना है, प्रभावितो के पुर्नवास की आवश्कता नही है जनसुनवाई मे सुनवाई पूर्ण की गई है उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। परियोजना की लागत एवं कियान्वयन बाबत् जानकारी पृथक से संलग्न है।

(ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिध्दांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नही, विश्लेषण की कसौटी के रूप मे उपयोग किया जाएगा।

प्रारूप – तीन

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण –

	पुरूष	महिला	कुल
कुल जनसंख्या	472	453	925

गॉव की कुल जनसंख्या 925

पुरूष महिला

472 453

1. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या – 214
2. वृध्दावस्था पेंशनरो की संख्या – 23
3. निराश्रित पेंशनरों की संख्या –
   - सुखद सहारा – 19
   - सामाजिक सुरक्षा – 11
   - विधवा पेंशन – 12
   - अति विकलांग – 01
   - मुख्य मंत्री पेंशन योजना – 13
4. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या – पुरूष 140 + महिला 164 कुल 304

शैक्षणिक परिदृश्य – शिक्षा किसी भी गांव या समाज की विकास की पूंजी होती है। यह विकास एवं उत्थान की दिशा को निर्देशित करती है जबकी कही–कही पर लोगो के बीच (शिक्षित एवं अशिक्षितों के बीच) नये तरह का अंतर पैदा करती है। इन सबके बीच, किसी क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा मे यह मूल जरूरत और एक अच्छा सूचक भी है। नीचे दिये गये आंकड़ो से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पीपरछेड़ी मे 32.86 प्रतिशत लोग अशिक्षित है और जहां तक गांव के शैक्षणिक परिदृश्य की बात है 67.14 प्रतिशत लोग शिक्षित है।

5. परियोजना प्रभावित परिवारों की शैक्षणिक अवस्था

क. संख्या	शिक्षा	प्रतिशत (%)
1	अशिक्षित	32.86
2	प्राथमिक	47.14
3	हाई स्कूल	11.00
4	12 वीं	8.00
5	स्नातक	1.00

6. सामाजिक सांस्कृतिक संगठन –

- **ग्राम सुरक्षा समिति**
- **वन रक्षा समिति**
- **शालेय शिक्षा समिति**
- **साक्षरता समिति**
- **स्वास्थ्य सुरक्षा समिति**

7. प्रशासनिक संगठन – वन सुरक्षा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति एवं साक्षरता समिति।

8. राजनीतिक संगठन – निरंक

9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य – निरंक

भूमि का उपयोग –

कृषि भूमि हेक्टे.	पड़त भूमि	सिंचित एक फसली भूमि	सिंचित दुफसली भूमि	असिंचित भूमि
199.17	12.20	22.36	22.36	164.61

10. जोत का आकार –

लघु कृषकों की संख्या	सीमांत कृषकों की संख्या	कुल खातों की संख्या	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाए)
21	139	160	12	05

11. पशुधन –

पशुधन की संख्या	दुधारू पशुधन की संख्या
460	150

12. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार –

क.	रोजगार का श्रोत	संख्या
1	खेती एवं मजदूरी	6
2	सरकारी नौकरी	–
3	प्राईवेट नौकरी	–
4	दुकानदारी	–

13. प्रसारण– समाचार पत्र, दूरदर्शन, मोबाईल

14. रोजगार मे महिलाओं की भागीदारी –

18% – निर्माण में मजदूरी कार्य, दुकान एवं अन्य

02% – सब्जी एवं फलों का विक्रय

80% प्रतिशत महिलायें कृषि कार्य मे भागीदारी

15. खाद्य सुरक्षा – 265 कार्डधारी

16. अन्य स्थानीय रोजगार –

- कृषि
- लोकल मार्केट
- शिक्षण संस्थान

17. मजदूरी दर – 176 रू. प्रतिदिन (रोजगार गारंटी के अंतर्गत)

18. ऋण तक पहुंच –

- ग्रामीण महाजन एवं सम्पन्न व्यक्ति से – लगभग 10 प्रतिशत ब्याज की दर से
- बैंक से (KCC) जिनके पास है – बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर
- सोसायटी से जैसे – खाद, प्रमाणित बीज एवं अन्य

19. परिवहन एवं सड़क –

- पक्की सड़क – बाजार तक पहुॅच मार्ग
- बस सुविधा – पीपरछेड़ी, छुरा, पाण्डुका
- रेल्वे सुविधा – राजिम 40 कि.मी., रायपुर 90 कि.मी.,
- हवाई सुविधा – रायपुर 90 कि.मी.,
- एम्बुलेंस सुविधा – 112

20. सिंचाई – नहर, बांध

21. बाजार तक पहुॅच – सिंगल लेन पक्की सड़क

22. पर्यटन स्थल –

- जतमई घटारानी मंदिर
- तौरेंगा डेम
- सिद्ध बाबा धाम

23. सरकारी दुकान –

- उचित मूल्य की दुकान – 01
- स्वास्थ्य केंन्द्र – 01
- विद्यालय – 04
- आंगनबाड़ी – 04
- पंचायत भवन – 01

24. रहन सहन समान्य –

(एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाशा – ग्राम पीपरछेड़ी आदिवासी बाहुल्य गांव है जिसमे लगभग 73.95 प्रतिशत लोग आदिवासी है। उनमें बदलाव की संभावनाए बहुत धीमा गति से होती है, किन्तु आस–पास के गांव के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस पास मे आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे–धीरे विकास की ओर अग्रसर है और वो भी अब यही चाहते है कि उनका तथा उनके गांव का यथा संभव विकास हो।

(दो) गृह – करीब 55 प्रतिशत घर मिट्टी के बने है उनके छत में खपड़े डाले गये है, बाकी लगभग 45 प्रतिशत घरों का निर्माण ईट एवं ढलाई (पक्के घर) से बने है।

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान – सामुदायिक एवं सिविल स्थान है। जिनमे सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक चबुतरा, पंचातय भवन, मनोरंजन भवन एवं अन्य चबुतरे शामिल है।

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल – ग्राम पीपरछेड़ी में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल विद्यमान है जो कि उनके धार्मिक आस्था एवं संस्कृति के प्रतीक है। लोगों की आस्था प्रकृति की पूजा पर आधारित होती है, और उसी से जुड़ी हुई संस्कृति उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का परिचय देती है।

(पॉच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज, सिस्टम इत्यादि) – गांव के भौतिक संरचनाए विद्यमान है जैसे– जलआपूर्ति हेतु शासकीय ओवर हेड पानी टंकी, बोरवेल, ग्रामीण सड़क, पुलिया, मोटर पंप, नहर इत्यादि मौजूद है जो कि लोगो के जीवन को सरल बनाती है।

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्याालय, स्वास्थ्य, सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण, सिस्टम इत्यादि) – ग्राम पीपरछेड़ी मे पांचवी तक स्कूलों की संख्या – 2, आठवी तक स्कूलों की संख्या – 1, हायर सेकेण्डरी स्कूल की संख्या–1 है। इस प्रकार इस गांव में 4 स्कूल मौजूद है। इसके अलावा 4 आंगनबाड़ी, 1 लोक वितरण प्रणाली एवं 1 स्वास्थ्य केन्द्र भी अवस्थित है।

(सात) सुरक्षा अपवाद एवं हिंसा – गांव मे किसी तरह की सुरक्षा संबंधित समस्या नही है वहां की आपसी सदभावना बनी हुई है और लोग एक दुसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहे है और स्थानीय लॉ एण्ड आर्डर सही है एवं एक महिला कमांडो समिति बनी हुई है।

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. **भूमि जीविका और आय पर समाघात –**

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार – मार्ग निर्माण हो जाने से आवागमन सुगम होगा जिससे मंडियों में अनाज एवं अन्य सामग्री लाना आसान हो जावेगा।

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके – मार्ग निर्माण से सामग्री का परिवहन सरल हो जावेगा।

(ग) आय के स्तर – मार्ग निर्माण के पश्चात् आवागमन सुगम होने से ग्राम में अन्य व्यवसाय में सुविधा होगी।

(घ) खाद्य सुरक्षा – आवागमन सुगम होने से कृषि सामग्री का परिवहन सुगम होगा जिससे खाद्य सुरक्षा अपने आप बढ़ जाएगी।

(ड.) जीवन निर्वाह के स्तर – आय की वृध्दि होने से जीवन निर्वाह के स्तर अपने आप अच्छे हो जाते है अतः इस परियोजना से भी यही आशा और उम्मीद किया जा सकता है।

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण – आय की वृध्दि होने से लोगो की आवश्यकताएं भी बढती जाती है और जिसके लिए उनमे उत्पादक संसाधनो तक पहुंच और नियंत्रण बढ जाती है। इस परियोजना से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है।

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच – परियोजना के आने से जीविका के विकल्पो तक महिलाओं की पहुंच बढ जाएगी क्योंकि रोजगार के अवसरों मे भी वृध्दि होगी।

2. भौतिक संसाधनो पर समाघात –

(क) प्राकृतिक संसाधनो (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात – ग्राम पीपरछेड़ी मे मार्ग निर्माण से वहां के प्राकृतिक संसाधनो जैसे– मिट्टी, वायु, जल एवं वन पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनो पर दबाव – जहां तक ग्राम पीपरछेड़ी में भौतिक संसाधनो पर समाघात का प्रश्न है, जीविका के लिए वहां पर पर्याप्त भूमि है एवं वहां के सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्राकृतिक संसाधनो पर इस परियोजना से किसी प्रकार का दबाव नही है।

3. निजी संपत्तियों लोक और उपयोगिताओं पर समाघात –

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता – विद्यमान स्वास्थ्य सेवा पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि परियोजना के पूर्ण हो जाने से स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं में बेहतरी की संभावना बढ जाती है।

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता – इस परियोजना से चूकि लोगो की आय मे वृध्दि होगी जिससे गृह सुविधाओं की उपयोग करने की क्षमता में भी बढोतरी होगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव – स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर किसी प्रकार का दबाव नही होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली – परियोजना के पूर्ण होन से आवागमन सुगम हो जावेगा। बिजली व जल आपूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली के विकास की संभावना बढ जाती है।

(ड.) निजी संम्पत्तियों जैसे–बोरवेल, इत्यादि पर समाघात – निजी संम्पत्तियों, वृक्ष 7 नग प्रभावित हो रहा है, जिसका मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किया जावेगा। जिससे प्रभावितों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. स्वास्थ्य समाघात –

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से महिलाओं के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

(ख) वृध्दजनों के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से वृध्दजनों के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात –

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण – इस परियोजना से किसी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण नही होगा।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – इस परियोजना से किसी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नही होगा।

(ग) आर्थिक, पारिधिकी, संतुलन में परिवर्तन – इस परियोजना से गांव के लोग मुआवजे की राशि प्राप्त करते है जिससे उनके आर्थिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है किन्तु पारिस्थिकी संतुलन में इस परियोजना से किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात – इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ड.) अपराध एवं अवैध कियाकलाप – रोजगार की कमी के कारण गांव में अपराध एवं अवैध कियाकलापो मे वृध्दि होती है लेकिन परियोजनाओ के आने से रोजगार की संभावनाए बढती है जिससे जुड़कर लोग अपने मन को विभिन्न तरह के कार्यो मे लगाकर आय–अर्जन कर सकते है। इस तरह की संभावना पीपरछेड़ी ग्राम में भी ब्यक्त की जा सकती है।

(च) विस्थापन का तनाव – इस परियोजना से किसी प्रकार के विस्थापन के संभावना नही है अतः इसे विस्थापन का तनाव शून्य है।

(छ) संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात – परियोजना के लिए जमीन बिक्री या भू–अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है जिससे संयुक्त परिवारो के विखंडन की संभावनाए बढ़ जाती है, किन्तु साथ–साथ उसके एवज मे प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन मे सुधार भी आती है। लोग अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा देने मे भी समर्थ हो सकते है तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा अपने जीविका को और सरल बना सकते है।

6. **चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात** – यह चक्रीय परियोजना नही है अतः निम्नलिखित किसी भी चरणो पर किसी तरह का प्रभाव नही पड़ेगा।

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण – निर्माण अवधि कम होने एवं ग्रामो के सम्पूर्ण रकबे मे से 0.193 हेक्टेयऱ भूमि अर्जन किये जाने से सेवाओ को प्रदान कराने लाभकारी निर्देश एवं अनिश्चितता का दबाव कम से कम रहेगा।

(ख) सन्निर्माण चरण – परियोजना के निर्माण मे अधिकतम उन्नत किस्म की मशीनरी का उपयोग होने से कम से कम संख्या मे मजदूरों का आगमन होगा। जिसके कारण प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन न्यूनतम होगा।

(ग) प्रवर्तन चरण – परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का विस्थापन होगा। परन्तु स्थायी व्यक्तियों पर विपरित प्रभाव कम होगा। वरन नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप उनके आर्थिक गतिविधियों मे वृध्दि होगी।

(घ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात – परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम की 0.193 हेक्टेयऱ भूमि का अर्जन किया जावेगा जो कि ग्राम के कुल रकबा 199.17 हेक्टेयर का 0.10 प्रतिशत है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात न्यूनतम होगा।

(ड.) संचित समाघात (प्रश्न मे परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) – परियोजना के निर्माण से ग्राम पीपरछेड़ी मे विस्थापन नही हो रहा, केवल 0.193 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य परियोजना के समाघात को मिलाने पर संचित समाघात का प्रभाव उपरोक्तानुसार न्यूनतम होगा।

समाजिक समाघात प्रबंधन योजना

1. अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत किया जावेगा।
2. यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमे भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नही है।

3. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा वन विभाग को कटाई हेतु स्वीकृत वृक्षों से 10 गुना अधिक वृक्षारोपण हेतु राशि प्रदान की जावेगी।
4. परियोजना के आने से प्रभावित गॉव एवं आसपास के लोगो की आर्थिक स्थिति मे सुधार आयेगा।
5. प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं रैखिय (Linear) अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन पर भी कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण जनसुनवाई के दौरान मुआवजा के संबंध मे जानकारी दी गई।
7. प्रभावित भूमि का विवरण। (सूची संलग्न)
8. प्रभावित खातेदारों के सहमति की सूची संलग्न।
9. सामाजिक समाघात संधारण जनसुनवाई दिनांक 21.10.2019 के दौरान प्रभावित परिवारों द्वारा प्राप्त समस्याओं एवं निराकरण :–

    - प्रभावित भूमि स्वामियों द्वारा अधिक से अधिक एवं जल्दी से जल्दी मुआवजे की मांग की गई जिसे भू–अर्जन अधिकारी द्वारा शासन के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत मुआवजा का निर्धारण करने की जानकारी दी गई।
    - प्रभावित कृषक श्री भगवान सिंग ध्रुव पिता श्री समारू द्वारा पूछा गया कि हमारी भूमि मुआवजा कब तक एवं किस नियम के तहत प्राप्त होगा साथ ही हमारे जमीन पर जो पेड़ लगे है उनका भी मुआवजा हमे मिलना चाहिए।

    इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा सड़क का कार्य सभी के सुविधाओं के लिये बनाया जाता है इसमें किसी विशेष को लाभ न मिल कर समस्त लोगों के आवागमन की सुविधा देखी जाती है, भू–अर्जन मुआवजा में शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर एवं नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है। भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूर्ण कर मुआवजा दिया जावेगा।

प्रभावित कृषकों की भूमि पर वृक्षों एवं परिसंपत्तियों के बारे में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्र मे आने वाले परिसंपत्तियों एवं वृक्षों की गणना की गई है एवं नियमानुसार मुआवजा निर्धारण कर भुगतान की जावेगी।

- भूमि विस्थापितों द्वारा परियोजना के आने से अधोसंरचना में क्या विकास होगा की जानकारी चाही गई जिसमें विशेषज्ञ समूहों द्वारा बताया गया की गांव की सड़क एवं अन्य अधोसंरचना के निर्माण से आवागमन एवं व्यवसाय में सुधार होगा।
- भूमि विस्थापितों द्वारा पुनर्वास लाभ के संबंध में जानकारी चाही गई जिसके परिपालन मे पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा छत्तीसगढ़ पुनर्वास पुनर्वास्थापन नीति के तहत लाभ दिये जाने की जानकारी दी गई।
- श्री सोनूराम ध्रुव, पंच ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी के द्वारा मांग की गई की प्रभावित किसानों का उचित मुआवजा जल्द से जल्द शासन द्वारा प्रदान किया जावे।

शासन द्वारा निर्धारित भू–अर्जन प्रक्रिया होने के उपरान्त प्रभावित किसानों का उचित मुआवजा तत्काल प्रदाय किया जावेगा।

विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन रिपोर्ट सौपते हुए भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

सामाजिक समाघात सदस्यों का नाम व हस्ताक्षर

11.02.2020

श्री रामनारायण निर्मलकर
सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र)
निजी आर्यभट्ट कला वाणिज्य महाविद्यालय,
कोपरा, तहसील राजिम

श्री अवधराम साहू
उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, छुरा

श्री जार्ज जेकब
मैनेजर सेंटजान्स,
(मास्टर ऑफ सोशल वर्क)
इग्लिश मिडियम स्कूल, छुरा

श्रीमती अंजनी ध्रुव
सरपंच
ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी

श्री एम.के. साहू
अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
उपसंभाग राजिम, जिला गरियाबंद

तहसीलदार
छुरा (संयोजक)